12

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य.

प्रकरण कमांक निग0 निग0 कमांक 2910–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–7–16 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला सागर प्रकरण कमांक पुनरीक्षण पुनरीक्षण 03/अ–12/2015–16.

———

नंदकिशोर पुत्र श्री वनमाली पटैल,
निवासी – साकिन महंदपुर
तहसील जिला दमोह म0प्र0 ——— आवेदक

विरूद्ध

हरिदास पुत्र श्री वनमाली पटैल,
निवासी– साकिन सागर नाका,
पुलिस चौकी के पास, हिरदेपुर
तहसील व जिला दमोहर म0प्र0 ——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर. डी. शर्मा ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव ।

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 06/02/18 को पारित)

———

यह निगरानी कलेक्टर, दमोह द्वारा पुनरीक्षण प्र0क0 03/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 13–7–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई हैं ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, दमोह के न्यायालय से अनावेदक हरिदास पिता वनमाली द्वारा मौजा महंदपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 34 एवं 110/3 का सीमांकन किए जाने हेतु आवेदन तहसीलदार पथरिया को प्राप्त होने पर तहसीलदार, पथरिया द्वारा 1–11–15 को प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी को सीमांकन करने हेतु आदेश जारी किया गया एवं प्रकरण दिनांक 12–11–15 को नियत किया गया । दिनांक 12–11–15 को राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कि वाद स्थल पर विवाद की स्थिति बनने से सीमांकन नहीं किया गया अतः सीमांकन हेतु टीम बनाई जाये । तदुपरांत तहसीलदार ने दिनांक 14–12–15 को 7 सदस्यीय टीम गठित कर उन्हें सीमांकन करने के आदेश दिए । तहसीलदार द्वारा गठित दल द्वारा दिनांक 28–12–15 को सीमांकन किया गया । उक्त

सीमांकन कार्यवाही पर मौके पर आवेदक द्वारा आपत्ति की गई । आवेदक द्वारा लिखित में भी तहसीलदार के समक्ष दिनांक 30–12–15 को आपत्ति की गई तथा उक्त आपत्तियों के आधार पर आवेदक द्वारा दिनांक 28–12–15 को किये गये सीमांकन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया परंतु तहसीलदार द्वारा उक्त आपत्तियों पर कोई सुनवाई नहीं की गई एवं आपत्तियों का निराकरण किए बिना आदेश दिनांक 9–2–16 द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिर्पोट पर से सीमांकन की पुष्टि की गई एवं कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा दमोह को प्रतिवेदन पृथक से भेजने के निर्देश देते हुए प्रकरण समाप्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । कलेक्टर, दमोह के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए कहा गया कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण को समझने में त्रुटि की गई है । सीमांकन एवं बटांकन दो पृथक–पृथक कार्यवाहियां हैं । यह कहा गया कि तथाकथित सीमांकन राजस्व निरीक्षक व पटवारी द्वारा बिना किसी स्थाई चिन्ह या चांदा के मनमाने तौर पर किया गया है आवेदक द्वारा उक्त सीमांकन पर तहसील न्यायालय के समक्ष आपत्तियां की थी किंतु तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्तियों पर सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना सीमांकन की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है ।

यह तर्क दिया गया कि जिस बटांक के आधार पर सीमांकन किया गया है वह बटांक आदेश उस समय चुनौती के अधीन था व अंतिम नहीं था इस कारण उसके आधार पर कोई सीमांकन नहीं किया जा सकता था । तथाकथित बटांकन आवेदक के पीठ–पीछे, उसे सूचना तथा सुनवाई का अवसर दिए किया गया है जो आवेदक पर आबद्धकर नहीं है ।

यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी विचाराधीन रहने तथा उक्त निगरानी में इस न्यायालय से स्थगन होने के बावजूद भी आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कुंए को आदेश दिनांक दिनांक 30–6–17 द्वारा अनावेदक के खसरे में दर्शाते हुए राजस्व अभिलेख दुरस्त कर दिया गया है, जो स्पष्टतः इस न्यायालय के आदेश की अवमानना है ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक के स्वामित्व के खसरा नं. 110/2 में कुंआ व मकान बना है तथा भूमि मेड़ एवं तारफेंसिंग से घिरी है । तथाकथित सीमांकन में उन्हें अनावेदक के खसरा नं. 110/3 में दर्शा दिया गया है । जबकि सीमांकन, बटांकन/नक्शा तरमीम न केवल संयुक्त खातेदारों की उपस्थिति में बल्कि सरहदी काश्तकारों को सूचना

देकर उनकी उपस्थिति में ही किया जाना चाहिए । यह भी कहा गया कि आवेदक की इस आपत्ति पर भी विचार नहीं किया गया कि आवेदक एवं अनावेदक के स्वामित्व की भूमियों का सीमांकन एक साथ किया जाये । उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तथा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि सीमांकन आदेश दिनांक 9–12–16 के अनुसार अनावेदक के खसरा नं. 34 के अंश भाग पर, कुंआ पर आवेदक का बेजा कब्जा पाया गया था । उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में राजस्व प्रकरण कमांक 109/बी–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 30–6–17 के अनुसार अनावेदक के खसरा नंबरों पर कुंआ दर्ज होकर राजस्व अभिलेख दुरस्त हो चुके हैं । उक्त आधार पर कहा गया है कि उक्त स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी व्यर्थ हो चुकी है ।

यह तर्क दिया गया है कि रिवीजन में अपील के समान विचार नहीं होता रिवीजन में केवल यह विचार होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने क्या घोर अनियमितता प्रकरण के निराकरण में की है । आवेदक यह बताने में असमर्थ रहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य आदेशों में क्या अनियमितता या अवैधानिकता है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि आवेदक का यह तर्क सही नहीं है कि बिना स्थायी चिन्ह या चांदा के सीमांकन किया गया है । सीमांकन प्रतिवेदन, मौका पंचनामा से स्पष्ट है कि सीमांकन टीम द्वारा सीमांकन की कार्यवाही विधिवत तरीके से चांदो का मिलान किया जाकर की गई है । आवेदक द्वारा लिए गए अन्य सभी आधार आधारहीन हैं ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा प्रकरण को मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है । अभिलेख में बताई जा रही रकबे की त्रुटि बाद की सोच है । यदि रकबे में कोई त्रुटि थी तो वह सन् 97–98 से अभी तक अभिलेख का मूल सुधार कराने में उदासीन क्यों रहे । उक्त आधारों पर निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख को देखने से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जो सीमांकन की कार्यवाही है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि आवेदक द्वारा सीमांकन के समय यह आपत्ति ली गई कि मौके पर सीमांकन में कोई सीमा चिन्ह भी नहीं है तथा उसके खेत में फसलें खड़ी हुई हैं आपत्ति में यह भी लेख किया गया कि अनावेदक के खसरा नं. 34 का रकबा 1.50 था वर्तमान अभिलेख में 1.70 दर्ज कर दिया गया है । खसरा नं. 110 का कुल रकबा 8.89 हैक्टर है परंतु नक्शा चालू शीट में खसरा नं. 110 का रकबा 8.89 है ही नहीं तथा उक्त खसरा के नक्शा बटांक के विरूद्ध एक

अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लंबित है । आपत्ति में यह भी लेख किया गया कि अपर कलेक्टर, दमोह के समक्ष ग्राम महंदपुर के प्रहलादसींग द्वारा प्रस्तुत नक्शा व रकबा दुरस्ती का प्रकरण लंबित है जिसमें राजस्व निरीक्षक द्वारा खसरा नं. 110 में से 0.45 हैक्टर भूमि की कमी करते हुए खसरा नं. 89 में समाहित करने का प्रतिवेदन दिया है इससे आवेदक व आपत्तिकर्ता का खसरा नं. 110 का सम्पूर्ण रकबा प्रभावित हो गया है । और चूंकि आवेदक एवं अनावेदक को खसरा नं. 110 की भूमि आपसी बंटवारे से प्राप्त हुई हैं तथा खसरा नं. 34 एवं 110 के नक्शा रकवे से मेल नहीं खाते हैं । उक्त स्थिति में खसरा नं. 110 का रकबा स्पष्ट हुए बिना बटांकन नहीं किया जा सकता और सही बटांकन किए बिना सीमांकन नहीं किया जा सकता है । अभिलेख से यह भी पाया जाता है कि दिनांक 28–12–15 को किए गए तथाकथित सीमांकन पर आवेदक द्वारा दिनांक 29–12–15 को लिखित में तहसीलदार के अतिरिक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी को भी आपत्ति प्रस्तुत की गईं जो कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी ने आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार को भेजीं लेकिन तहसीलदार द्वारा आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया और सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि करदी गई, जो किसी भी दृश्टि से न्यायोचित नहीं है क्योंकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि सर्वप्रथम प्रकरण में प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण किया जाये तत्पश्चात ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाना चाहिए ।

6/ अभिलेख से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जो सीमांकन किया गया है वह बटांकन के आधार पर किया गया है जबकि सीमांकन नक्शे के आधार ही होता है । उभयपक्ष के मध्य नक्शे में विवाद होना स्पष्ट है तथा बटांकन के विरूद्ध अपील लंबित होना व स्थगन जारी होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में तथाकथित सीमांकन पूर्णतया विधिविरूद्ध हो जाता है । वैसे भी जब सीमांकन पर आपत्तियां आईं थी तब उनका निराकरण त्वरित क्यों नहीं किया गया यह भी उक्त सीमांकन को अवैध सीमांकन की श्रेणी में लाते हैं । जहां तक कलेक्टर के आदेश का प्रश्न है, उनके आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को पूर्णतया अनदेखा करते हुए तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए कलेक्टर का यह निष्कर्ष कि प्रश्नाधीन भूमि के बटांकन आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी, पथरिया के समक्ष आवेदक ने प्रस्तुत की है, जो विचाराधीन है और इस अपील के निराकरण पश्चात आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन पुनः कराने की कार्यवाही कर सकता है, भी विधिसम्मत नहीं है क्योंकि यदि उक्त बटांकन आदेश अपील में निरस्त होता है तो नक्शे में किया गया बटांकन निरस्त व जावेगा व उसके आधार पर किया गया यह सीमांकन भी निरस्त हो जावेगा । न्यायालयों का कर्त्तव्य पक्षकारों को उलझाने का नहीं

बल्कि सुलझाने का होता है उन्हें बार–बार सीमांकन कराने का निर्देश देने की वजह एक ही बार में उचित व सही सीमांकन कर विवाद का निपटारा करना था । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि कोई भी सीमांकन तभी वैध माना जा सकता है जब सीमांकन संहिता की धारा 129 में विहित किए गए सीमा चिन्हों के अनुसार किया जाये व सरहदी कृषकों की उपस्थिति में किया जावे और आवश्यकता पड़ने पर आसपास की भूमि का नाप किया जाकर यह स्पष्ट किया जावे कि किस सर्वे क्रमांक की कितनी भूमि पर किसी अन्य सर्वे नंबर के भूधारी का कब्जा है । सीमांकन का वास्तविक अर्थ मौके पर कृषकों के वास्तविक विवाद का निराकरण है ना कि नये–नये विवाद को पैदा करना । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार के त्रुटिपूर्ण आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । इस कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती हैं तथा अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–7–2016 एवं तहसीलदार, पथरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–2–16 अवैधानिक होने से निरस्त किये जाते हैं ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर